न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2014 **दायर दिनांकः 02/04/2014**

उनवान

1. मदन लाल आयु 65 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. निदेशक महोदय कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर राजस्थान पुरा तत्व एवं संग्रालय विभाग उल्बर्ट हाल रामनिवास बाग, जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम।

आदेश दिनाक : 13/11/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 183 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां में वादी को आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 किस्म बंजड़ दिनांक 03.09.1998 को आवन्टन हुई थी। आवन्टन होने के तुरन्त बाद में वादी को हल्का पटवारी द्वारा कब्जा सम्भला दिया था। उक्त आराजी पर वादी का आवन्टन की तारीख से आज तक शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पक्ष में दिनांक 03.09.1998 को जो भूमि आवन्टन हुई थी वह कीमतन हुई थी जिसकी राशि वादी द्वारा रसीद नम्बर 34 से 24325 रूपये तथा रसीद सं0 19 से 2700/—रूपये कुल राशि 27025 रूपये दिनांक 30.01.2009 को तथा 03.01.2008 को जमा करा दिये है। आवंटन की शर्त कीमतन राशि वादी द्वारा पूरी जमा करा दी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज नही हुई है। वादी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं मिले है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 के कार्यालय में आराजी खाते दर्ज कराने बाबत् प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिससे यह साबित है कि वादी का आवंटन शुदा आराजी पर कब्जा है। तथा आवंटन की शर्तों के मुताबिक वादी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करा दी है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक दिनांक 08.02.2011 को जिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा ग्राम शेरगढ़ में स्थित आरक्षित किये जाने के

आदेश प्राप्त होने पर कार्यालय तहसीलदार अटरू प्रतिवादी क्रम 2 के यहा से दिनांक 14.02.2011 को हल्का पटवारी के नाम अमल दरामद के आदेश प्रदान किये गये। जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण सं0 142 दिनांक 24.02.2011 से कला एवं संस्कृति विभाग के नाम ख0नं0 612 का रकबा 0.75 है0 बंजड़ भूमि आरक्षित दर्ज कर दी गई है।। जबकि ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 वादी को आवंटन हो चुकी है। जिस पर वादी काबिज काश्त है। तथा आवंटन की राशि भी जमा करा दी है। इस वजह से वादी ख0नं0 612 का रकबा 0.75 है0 भूमि जो कला एवं संस्कृति विभाग के नाम आरक्षित दर्ज की है। उसमें से नामान्तरण सं0 142 के ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 तक अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से प्रभावशून्य घोषित कराकर खारिज करा पाने का अधिकारी है तथा आराजी अपने नाम खाते दर्ज करा पाने का अधिकारी है। आराजी आरक्षित दर्ज हो जाने के वाद में हल्का पटवारी ने वादी से दिनांक 25.09.2013 को कहा कि आपकी आवंटन शुदा एवं कब्जशुदा आराजी कला एवं संस्कृति विभाग के नाम से आरक्षित दर्ज हो गई है। कभी भी आपको आवंटन शुदा आराजी से बेदखल किया जा सकता है। तो वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 के कार्यालय में जानकारी ली तथा नामान्तरण सं0 142 की नकल दिनांक 28.10.2013 को प्राप्त की। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहे और आरक्षित की गई भूमि में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 612 रकबा 0.48 है0 भूमि पर से वादी को बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिससे वादी अपनी आवंटन शुदा आराजी से वंचित हो जावेगें। इसलिए वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है। कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी बिरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें कि नामान्तरण सं0 142 दिनांक 24.02.2011 आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 वादी के नाम आवंटन शुदा आराजी तक अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से उसे प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर खारिज किया जावें तथा वादी को आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 वाके माल शेरगढ पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। वादी द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी दो माह प्रेषित कर दिया है जिसकी अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 14.02.2011 को आराजी आरक्षित किये जाने के आदेश प्रतिवादी द्वारा प्रदान करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25.

09.2013 को हल्का पटवारी द्वारा वादी से आराजी आवंटनशुदा आरक्षित होने पर कभी भी बेदखल किये जाने की बात कहने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः वादी माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें:—

(अ) नामान्तरण सं0 142 दिनांक 24.02.2011 वादी की आवंटनशुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 तक अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से उसे उक्त रकबें 0.48 है0 तक प्रभावशून्य घोषित किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

(ब) वादी को आवन्टनशुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 माल शेरगढ तहसील अटरू पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद की मद नं0 1 रिकार्डेड होने से वर्ष 1998 की राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्वीकार है लेकिन वादी द्वारा वर्ष 2009 में राशि जमा कराने के कारण दिनांक 24.09.2008 की अधिसूचना एफ 5 (20) क0सं0/08 से शेरगढ़ किला एवं उसके आस—पास के सभी 16 खसरा नं0 कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग शेरगढ़ किला को संरक्षित घोषित कर दिया गया हैं। जिसके कारण वादी का अलोलमेन्ट स्वतः ही निरस्त हो गया क्योंकि वादी ने 2 माह के अन्दर कोई आपत्ति पेश नही की। वाद की मद नं0 2 अस्वीकार है। वाद की मद नं0 3 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद की मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद की मद नं0 6 मन गढन्त होने से अस्वीकार है। वाद की मद नं0 7 एवं 8 कानूनी होने से स्वीकार है।

विशेषः–

1. अलोटमेन्ट आदेश के 11 वर्ष बाद राशि जमा कराई है। पटवारी द्वारा अलोटमेन्ट की शर्ते पूर्ण होने से पूर्व की कब्जा दिया जाना गलत है।
2. अधिसूचना दिनांक 24.09.2008 क्रमांक एफ 5 (20) क.सं0/08 से शेरगढ़ का किला सहित सभी 16 खसरा नम्बरान कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संरक्षित घोषित किये जा चुके है। अब वादी की कोई अलोटमेन्टशुदा भूमि नही है।
3. जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश दिनांक 08.02.2011 से कला एवं संस्कृति विभाग के नाम इन्तकाल नम्बर 142 दिनांक 24.02.2011 को खोला जा चुका है।
4. वादी द्वारा न तो इन्तकाल नम्बर 142 के विरूद्ध अपील की है। और न ही अधिसूचना दिनांक 24.09.2008 के विरूद्ध आपत्ति पेश की है। इसलिये वाद खारिज योग्य है।

अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया किः–

1. बिन्दु संख्या 1ः– वादी का यह कथन स्वीकार है कि ग्राम शेरगढ़ खसरा नम्बर 612 रकबा 0.48 है0 दिनांक 03.09.1998 को आवंटन हुई थी जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश दिनांक 08.02.2011 को क्रम संख्या 7 पर खसरा नं0 612 रकबा 0.75 है0 किस्म बंजड़ दिनांक 08.02.2011 को कला एवं संस्कृति विभाग के नाम आरक्षित (सेटअपाट) की जा चुकी है।
2. बिन्दु संख्या 2ः– वादी का यह कब्जा स्वीकार है कि दिनांक 08.02.2011 को खसरा नं0 612 रकबा 0.75 है0 कला संस्कृति विभाग को आवंटित होने पर (आरक्षित) नामा0 संख्या 142 दिनांक 24.02.2011 को स्वीकार हो चुका है। अतः वर्तमान में आवंटित भूमि रकबा 0.48 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज नही की जा सकती।
3. बिन्दु संख्या 3ः– कला एवम संस्कृति विभाग के नाम आरक्षित भूमि पर से वादी को बेदखल किया जा सकता है। क्योंकि दिनांक 03.09.1998 की आवंटन का अमल कराना वादी का कर्तव्य था।
4. बिन्दु संख्या 4ः– अस्वीकार है।
5. बिन्दु संख्या 5ः– न्यायालय से सम्बंधित है।
6. बिन्दु संख्या 6ः– न्यायालय से सम्बंधित है।
7. बिन्दु संख्या 7ः– क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से सम्बंधित है।

8. बिन्दु संख्या 8:– न्यायालय से सम्बंधित है।
9. बिन्दु संख्या 9:– न्यायालय से सम्बंधित है।

अतः उक्त बाद में किसी प्रकार की दुरूस्ती नही की जा सकती है।

दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी को आवंटन हुई थी तभी से वादी आवंटन शुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 पर काबिज काश्त है तथा आवंटन की पूरी शर्ते वादी ने पूरी कर दी है।

वादी

2. आया राज्य सरकार द्वारा ख0नं0 612 का रकबा 0.75 है0 भूमि आरक्षित की गई जिसमें वादी के आवंटन शुदा आराजी भी नामान्तकरण 142 से आरक्षित की गई जिसमें वादी के आवंटन शुदा आराजी भी नामान्तकरण 142 से आरक्षित कर दी, इस वजह से नामान्तकरण संख्या 142 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है।

वादी

3. आया आवंटन शुदा एवं कब्जे शुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वादी

4. आया शेरगढ़ किले सहित किले के आस पास के 16 ख0नं0 कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संरक्षित घोषित हो चुके है।

प्रतिवादी

5. आया नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 24.02.2011 वैध है, उसके विरूद्ध कोई भी अपील नही की है, इस वजह से वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है।

प्रतिवादी

6. दादरसी।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया रिकॅार्ड EXP करवाया गया तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई, साक्ष्यवादी प्रतिवादी के तहत DW_1 के बयान लेखबद्ध किये गये तथा अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई,

वाद का तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार किया जाता है।

1. <u>**तनकी नं0 1:–**</u> आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी को आवंटन हुई थी तभी से वादी आवंटन शुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 पर काबिज काश्त है तथा आवंटन की पूरी शर्ते वादी ने पूरी कर दी है। इस तनकी को साबित करने का भार

वादी पर था वादी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 03.09.1998 की सत्य प्रतिलिपि पेश की है। जिसमें ग्राम शेरगढ़ की ख0नं0 612 रकबा 0.75 है0 में से 0.48 है0 किस्म बंजड़ वादी के नाम कीमतन आवंटन हुई थी जिसकी राशि वादी द्वारा रसीद नं0 19 से दिनांक 03.01.2008 को 2700/— रूपये एवं रसीद नं0 34 से दिनांक 30.10.2009 को 24325/—रूपये कुल राशि 27025/— रूपये जमा करवाकर आवंटन शर्ते पूर्व कर दी, रिकार्ड व रिपोर्ट अनुसार वादी का आवंटन से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

2. **<u>तनकी नं0 2:—</u>** आया राज्य सरकार द्वारा ख0नं0 612 का रकबा 0.75 है0 भूमि आरक्षित की गई जिसमें वादी के आवंटन शुदा आराजी भी नामान्तकरण 142 से आरक्षित की गई जिसमें वादी के आवंटन शुदा आराजी भी नामान्तकरण 142 से आरक्षित कर दी, इस वजह से नामान्तकरण संख्या 142 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था राज्य सरकार द्वारा ख0नं0 612 का रकबा 0. 75 है0 भूमि दिनांक 08.02.2011 को कला एवं संस्कृति विभाग शेरगढ़ को आरक्षित कर दी गई है। इससे पूर्व जिसमें वादी को दिनांक 03.09.1998 को आवंटित ख0नं0 612 की 0.48 है0 भूमि भी नामान्तकरण सं0 142 खोलकर आरक्षित कर दी गई चूंकि वादी को ख0नं0 612 की 0.48 है0 भूमि कीमतन आवंटन हुई थी जिसको सम्पूर्ण राशि वादी द्वारा जमा करा दी गई लेकिन वादी को गैर खातेदार दर्ज नही कर ख0नं0 612 का सम्पूर्ण रकबा 0.75 है0 भूमि आरक्षित कर दी गई। नामान्तकरण संख्या 142 खोलकर कला एवं संकृति विभाग शेरगढ़ के नाम दर्ज कर दी। जबकि वादी को आवंटित भूमि 0.48 है0 पर गैर खातेदारी दर्ज कर रकबा कम कर आरक्षित की जानी थी। इस प्रकार तहसीलदार अटरू द्वारा बिना मौके व रिकार्ड का अवलोकन किये ही भूमि आरक्षित करा दी गई जो उचित नही है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

3. **<u>तनकी नं0 3:—</u>** आया आवंटन शुदा एवं कब्जे शुदा आराजी ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में भूमि आवंटन आदेश दिनांक 03.09.1998 व राशि जमा की रसीदें, आदि पेश किये है जिसके आधार पर वादी आवंटन शुद्ध भूमि पर गैर खातेदारी दर्ज करने का अधिकारी है। अतः तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 वादी)

4. **<u>तनकी नं0 4:–</u>** आया शेरगढ़ किले सहित किले के आस पास के 16 ख0नं0 कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संरक्षित घोषित हो चुके है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था शेरगढ किले के 16 खसरा नं0 कला एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के नाम दर्ज हो चुके है, जो दिनांक 24.02.2011 को दर्ज हुये, इससे पूर्व वादी को दिनांक 03.09.1998 को ख0नं0 612 रकबा 0.75 है0 में से 0.48 है0 भूमि कीमतन आवंटन हुई थी जिसकी सम्पूर्ण राशि जमा होने पर वादी को गैर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था प्रकरण में तथ्य को छुपाकर भूमि आरक्षित करवाई गई है। जो विधि संम्मत् नही है। अतः तनकी नं0 4 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(भा0स0 प्रतिवादी)

5. **<u>तनकी नं0 5:–</u>** आया नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 24.02.2011 वैध है, उसके विरूद्ध कोई भी अपील नही की है, इस वजह से वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था नामान्तकरण सं0 142 दिनांक 24.02.2011 से 16 ख0नं0 दर्ज हुये है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य जिरह कथन किया है वादी मदनलाल गुर्जर के हमारे अधिग्रहण से पूर्व कब्जा काश्त है।। तथा पटवारी ने ख0नं0 612 का रकबा 0.48 है0 पर कब्जा दखल नही दिया, जिससे वादी का ख0नं0 612 रकबा 0.75 है0 में से 0.48 है0 भूमि आवंटन होना व कब्जा होना पाया जाता है।

(भा0स0 प्रतिवादी)

अतः तनकी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

–::कियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित भूमि ग्राम शेरगढ़ की ख0नं0 612 रकबा 0.75 है0 में से 0.48 है0 कला एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग की कम की जाकर वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 36/2014

उनवान

1. मदन लाल आयु 65 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. निदेशक महोदय कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर राजस्थान पुरा तत्व एवं संग्रालय विभाग उल्बर्ट हाल रामनिवास बाग, जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 183 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि ग्राम शेरगढ़ की ख0नं0 612 रकबा 0.75 है0 में से 0.48 है0 कला एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग की कम की जाकर वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 16:51:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: